दिनांक : 20 फरवरी, 2014

अविवेकपूर्ण सहानुभूति

– अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

पिछले कुछ दशकों में अनेक देश मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। भारत में बहुत से सदाशयी लोग भी इस मांग में शामिल हो गए। लेकिन पिछले तीन दशकों में पनपे आतंकवाद ने मेरी सोच बदल दी है। क्या कोई देश जिसने इस हद तक आतंकवाद का सामना किया हो वह इसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है? भारत में आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि के कारण भारत दासता विरोधी इस विचारधारा में शामिल नहीं हुआ। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने संतुलन कायम करते हुए मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में बदलकर 'इसे रेअरेस्ट ऑफ रेअर' मामला करार दिया।

हांलाकि मृत्युदंड हमेशा एक अत्यन्त कठोर सजा है जो रेअरेस्ट ऑफ रेअर मामलों में ही दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने हाल में कहा कि फांसी दिए जाने में अनावश्यक और रहस्यमय देरी के कारण मृत्युदंड की सजा को बदला जा सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा दया याचिका के निपटारे, इस मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा अपने विचार देने और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के कारण देरी हुई। देरी के कारण हाल ही में मृत्युदंड की सजा पाने वाले अनेक लोगों की सजा को बदला गया। किसी न किसी की तो इस बारे में जवाबदेही होनी चाहिए कि यह देरी कहां और क्यों हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को हाल ही में दी गई राहत अविवेकपूर्ण कार्य है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बाद ऐसे लोगों के लिए संस्थागत दया को समझना बहुत मुश्किल है। जो लोग इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं उन्हें पहचान की राजनीति का प्रतीक नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे बड़ा खतरा और कुछ नहीं हो सकता। आतंकवाद देश के खिलाफ एक अपराध है। इसके रोकने के लिए कडी सजा दी जानी चाहिए।

*****